जे.पी.आर.5 –326

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(मुख्य अभियंता वा.यो.एवं ग्रा.वि)

क्रंमाक जेपीडी / मुअ(वायोएवंग्रावि) / सी–1 / एफ4(236) / प्रे 612 दिनांक 5.4.2006

आदेश

विषयः ओला वृष्टि से प्रभावित गांवों के लधु एवं सीमान्त काश्तकारों को फरवरी एवं मार्च, 2006 के बिजली के बिलों की राशि के भुगतान में छूट ।

गत दिनों हुई ओलावृष्टि से अनेक गांवों में फसल नष्ट हो गई थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदया की अध्यक्षता में ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को दी जाने वाली सहायता एवं अकाल राहत की गतिविधियों के बारे में दिनांक 20 मार्च, 2006 को आयोजित समीक्षा बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

(1) ओलावृष्टि से प्रभावित लधु एवं सीमान्त काश्तकारों की जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई है, उनसे माह फरवरी एवं मार्च, 2006 के विद्युत बिलों की राशि वसूल नहीं करनी है ।

(2) इसके अतिरिक्त ,जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवादी है उस राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर दी जाए।

(3) बिलों में दी गई छूट का पुनर्भरण राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा ।

इस विषय में संबंधित अधीक्षण अभियन्ता(पवस) ,जिला कलेक्टर (सहायता) से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लधु एवं सीमान्त काश्तकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराऐगें , इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा फरवरी एवं मार्च, 2006 के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाएं ।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी , जयपुर डिस्कॉम , जयपुर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी इस संबध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेगें, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनःर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification)की दशा में प्रसारित किये जाते है।

आज्ञा से

5/4/06

(बी.एल.अग्रवाल)

मुख्य अभियन्ता (व यो.एवं ग्रावि)